इटावा पुलिस

सराहनीय कार्य

#CRACKDOWN

 # हत्या की घटना का त्वरित अनावरण **दिनांक 28.07.2026**

- **मात्र 02 घण्टे में हत्या की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार,**
- **कब्जे से कुल्हाड़ी व डण्डा (आलाकत्ल), 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद।**

अपर महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना श्री रामदवन मौर्य के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक **28.07.2026** को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिकनी में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना बकेवर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ परिवारीजनों द्वारा बताया गया कि **विनय पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम चिकनी की हत्या रामकुमार पुत्र स्व. रामनरेश निवासी ग्राम चिकनी द्वारा सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर की गई है।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 28.07.2026 को थाना बकेवर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि थाना बकेवर क्षेत्र के ग्राम चिकनी में हत्या करके भागने वाला अभियुक्त रामकुमार उर्फ गुड्डु ग्राम नसीरपुर बोझा से ग्राम घुघसीना की तरफ जाने वाले रास्ते के पास खड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा बताये गये स्थान पर घेराबंदी की गयी तो स्वंय को पुलिस टीम से घिरता देखकर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर किया जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त रामकुमार के दोनों पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गया। जिसे घायल अवस्था में **कुल्हाडी व डण्डा (आलाकत्ल), 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर** सहित गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त रामकुमार उर्फ गुड्डू को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से **कुल्हाडी व डण्डा (आलाकत्ल) , 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर** बरामद किये गये। बरामद कुल्हाड़ी एवं डण्डे के संबंध में कडाई से पूछताछ किए जाने पर अभियुक्त ने स्वीकार किया कि दिनांक 28.07.2026 को थाना बकेवर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिकनी में विनय पुत्र रामस्वरूप की सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की घटना मेरे द्वारा कारित की गई थी।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 218/2026 धारा 109(1) (पु0मु0) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामकुमार उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 रामनरेश निवासी ग्राम चिकनी थाना बकेवर जनपद इटावा **उम्र करीब 45 वर्ष ।**

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 218/2026 धारा 109(1) (पु0मु0) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 कुल्हाडी व डण्डा **(आलाकत्ल)**
2. 01 अवैध तमन्चा 315 बोर
3. 03 जिंदा कारतूस 315 बोर
4. 02 खोखा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीमः- थानाध्यक्ष श्री विपिन मलिक थाना बकेवर मय टीम ।